

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 133 / 2021

दिनांक : 18.08.2021

श्रीमती हिमानी चतुर्वेदी (RJ1053), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-11, जयपुर महानगर-II को दिनांक 13.09.2021 से 12.10.2021 तक 30 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.10.2021 से 15.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. पियुष जैलिया (RJ0982), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-12, जयपुर महानगर-II को श्रीमती हिमानी चतुर्वेदी के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-11, जयपुर महानगर-II के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. डॉ. पियुष जैलिया (RJ0982), जिनको विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-11, जयपुर महानगर-II के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक : 18.08.2021

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/41/2016/5269

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 2912 दिनांक 05.08.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती हिमानी चतुर्वेदी (RJ1053), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-11, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-11, जयपुर महानगर-II
5. डॉ. पियुष जैलिया (RJ0982), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-12, जयपुर महानगर-II
6. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.)प्रकरण कम-12, जयपुर महानगर-II
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

18.8.2021  
सहायक रजिस्ट्रार